उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1,
संख्या– 142 /X–1–2010–10(3)/2007
देहरादूनः दिनांक 16 मार्च, 2010

अधिसूचना
प्रकीर्ण

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग और इस विषय पर विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड वन विभाग के सर्वेक्षक सेवा में भर्ती तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

## उत्तराखण्ड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली, 2010

### भाग 1– सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा एक ऐसी अधीनस्थ राज्य सेवा है जिसमें समूह "ग" के पद सम्मिलित हैं।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से वन संरक्षक अभिप्रेत हैं;

(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो 'भारत का संविधान' के भाग–II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;

(ग) 'संविधान से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;

(घ) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(च) 'सेवा का सदस्य' से इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त किसी नियमावली या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,

(छ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तराखण्ड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा अभिप्रेत है;

(ज) 'संवर्ग' से किसी सेवा की सदस्य संख्या, या किसी पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत सेवा का भाग अभिप्रेत है,

(झ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति

क्रमशः.....2

न हो और इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नियम या आदेशों के अधीन चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हों तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार, चयन के पश्चात की गई हो;

(ञ) "छटनीशुदा कार्मिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है:

(एक) जो राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न रुप में कुल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए, जिसमें से कम से कम तीन मास की सेवा निरन्तर सेवा के रुप में होनी चाहिए, नियोजित था,

(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किए जाने के कारण सेवा से अभिमुक्त किया गया हो या किया जा सकता है, और

(तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति अधिकारी द्वारा छंटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु, इसके अन्तर्गत केवल तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं है।

(ट) 'भर्ती का वर्ष' से किसी कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

## भाग–2 संवर्ग

सेवा संवर्ग

4. (1) सेवा में सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

टिप्पणी– इस नियमावली के प्रवृत्त होने के समय सर्वेयर के 51 पद सृजित हैं।

(2) सेवा में सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या में, जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाए, उतनी होगी, जितनी उपरोक्त टिप्पणी में दर्शाई गई है;

परन्तु उपबन्ध यह है कि–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार आस्थगित कर सकेंगे जिससे कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा!

(दो) राज्यपाल ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

## भाग–3 भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा के पदों पर भर्ती, सीधी भर्ती के माध्यम से की जायेगी।

क्रमशः.....3

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

## भाग 4–अर्हताऐं

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा,

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

शैक्षणिक अर्हता

8. सेवा में सर्वेक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सर्वेक्षण विषय में कम से कम 02 वर्ष का 'डिप्लोमा' अथवा सिविल अभियन्त्रण का डिप्लोमा होना चाहिए।

अधिमानी अर्हता

9. अन्य बातें समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को, निम्न विवरण अनुसार, अधिमान दिया जाएगा, जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो,

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो,

(तीन) राष्ट्रीय सेवा योजना का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की आयु, भर्ती के लिए सेवा नियोजन कार्यालय को रिक्तियों के सूचित किए जाने या यथा स्थिति भर्ती के विज्ञापन के वर्ष की प्रथम जुलाई को 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;

क्रमश.....4

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन–पत्र का प्ररूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से, सीधी भर्ती के लिए आवेदन–पत्र उपनियम (1) में प्रकाशित प्ररूप पर, आमंत्रित करेगा और रिक्तियाँ अधिसूचित करेगाः–

(एक) ऐसे दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके;

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार–पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके; और

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

(3) उप नियम (2) के अधीन रिक्तियाँ अधिसूचित करते समय आवेदन–पत्र का प्ररूप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

(4) (एक) चयन के लिए 250 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी। प्रवीणता सूची, लिखित परीक्षा के प्राप्तांक व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर, तैयार की जायेगी।

(दो) (क) लिखित परीक्षा में सामान्य हिन्दी, सामान्य गणित और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र 150 अंक का होगा और 'सर्वेक्षण' विषय का एक प्रश्नपत्र 100 अंक का होगा। लिखित परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा ।

(ख) लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात्, अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ग) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(घ) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को उत्तराखण्ड की वैबसाईट www.ua.nic.in पर प्रकाशित किया जायेगा।

(ङ) छंटनीशुदा कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष के लिए 05 अंक तथा अधिकतम 15 अंकों का अधिमान दिया जायेगा।

(5) लिखित परीक्षा और छंटनीशुदा कर्मचारियों हेतु अधिमान अंकों को जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूचनी में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थी ने बराबर–बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।

कमशः ...6

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन–पत्र का प्ररूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से, सीधी भर्ती के लिए आवेदन–पत्र उपनियम (1) में प्रकाशित प्ररूप पर, आमंत्रित करेगा और रिक्तियाँ अधिसूचित करेगाः–

(एक) ऐसे दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके;

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार–पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके; और

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

(3) उप नियम (2) के अधीन रिक्तियाँ अधिसूचित करते समय आवेदन–पत्र का प्ररूप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

(4) (एक) चयन के लिए 250 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी। प्रवीणता सूची, लिखित परीक्षा के प्राप्तांक व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर, तैयार की जायेगी।

(दो) (क) लिखित परीक्षा में सामान्य हिन्दी, सामान्य गणित और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र 150 अंक का होगा और 'सर्वेक्षण' विषय का एक प्रश्नपत्र 100 अंक का होगा। लिखित परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा ।

(ख) लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात्, अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ग) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(घ) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को उत्तराखण्ड की वैबसाईट www.ua.nic.in पर प्रकाशित किया जायेगा।

(ङ) छंटनीशुदा कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष के लिए 05 अंक तथा अधिकतम 15 अंकों का अधिमान दिया जायेगा।

(5) लिखित परीक्षा और छंटनीशुदा कर्मचारियों हेतु अधिमान अंकों को जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूचनी में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थी ने बराबर–बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।

कमशः ...6

परिवीक्षा 21. (1) सेवा में किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(2) सेवा में नियुक्त व्यक्ति परिवीक्षा काल में कम्प्यूटर के उपयोग का सम्यक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, जब तक अवधि बढाई गई है, अवधि बढा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे;

परन्तु उपबन्ध यह है कि अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

(4) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में वह असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(5) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम–(4) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हों, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किए गए पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गई हो।

(7) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, उसकी नियुक्ति में, उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि:–

(एक) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया गया हो;

(दो) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है; तथा

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता 22. (1) ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार किया जाएगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जाएगी, जिसमें उनके नाम उनकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किए जाते है;

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जाएगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किए जाने का दिनांक माना जाएगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरुप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, चयन समिति द्वारा अवधारित की जाए;

परन्तु उपबन्ध यह कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किए जाने पर, बिना वैध कारणों से, कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है। इस सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

क्रमशः ...8

## भाग 7— वेतन

वेतनमान

23. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान वह होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार होंगे:

| पदनाम | वेतन बैंड–3 (रू0 में) | ग्रेड वेतन रू0 में |
|---|---|---|
| सर्वेयर | 9,300–34,800 | 4200/– |

परिवीक्षा अवधि में वेतन

24. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर, समयमान में पृथम वेतन वृद्धि स्वीकार की जाएगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किए जाने पर दी जाएगी;

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें, ऐसी बढ़ाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जाएगा;

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें, ऐसी बढ़ाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत् सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

## भाग 8–अन्य प्राविधान

पक्ष समर्थन

25. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुति के अतिरिक्त किसी अन्य संस्तुति, चाहे लिखित हो या मौखिक, पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते हैं, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण

27. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के

क्रमशः ...9

## भाग 7— वेतन

वेतनमान 23. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान वह होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार होंगेः

| पदनाम | वेतन बैंड–3 (रू0 में) | ग्रेड वेतन रू0 में |
|---|---|---|
| सर्वेयर | 9,300–34,800 | 4200/– |

परिवीक्षा अवधि में वेतन 24. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर, समयमान में पृथम वेतन वृद्धि स्वीकार की जाएगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किए जाने पर दी जाएगी;

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें, ऐसी बढ़ाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जाएगा;

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें, ऐसी बढ़ाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत् सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

## भाग 8–अन्य प्राविधान

पक्ष समर्थन 25. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुति के अतिरिक्त किसी अन्य संस्तुति, चाहे लिखित हो या मौखिक, पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते हैं, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण 27. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के

क्रमशः ...9

अधीन, इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी, जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।

व्यावृत्ति 28. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पडेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

(एम0एच0खान)
सचिव

संख्या– 142 (1)/X–1–2010–10(3)/2007 तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन.
2. समस्त मण्डलायुक्त उत्तराखण्ड.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम, नरेन्द्र नगर.
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक /मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/निदेशक–राष्ट्रीय पार्क/अभ्यारण्य/प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड.
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड.
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
9. निदेशक, कोषागार, पेन्शन एंव वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून.
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर गजट की 500 सौ प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें.
11. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून.
12. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन.
13. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून को इण्टरनेट पर प्रसारण हेतु.
14. गार्ड फाइल (ए).

23 MAR 2010

आज्ञा से,
(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव

पंजिका संख्या 2178
पत्रावली संख्या 1-1(6)
दिनांक 23-03-2010

प्रतिलिपि गार्ड बुक/ प्रभारी ... को नोट करें।
23/3